

12.3.2016

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुयी । प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र पर नोट प्रेस अंकित किया। प्रार्थीगण के वकील प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।

15